वर्ष-1, अंक 1, सितम्बर, 2021

नक़्श-ए-क़दम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मासिक पत्रिका

विशेष आकर्षण

- बिहार में भूमि–सर्वेक्षण
- कार्य प्रगति का ऑन द स्पॉट जायजा
- डिजिटल इकोसिस्टम का विकास

भू–अभिलेख एवं सेवा में बिहार प्रथम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए गर्व की बात है कि देश में हूं अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण कार्यों का मूल्यांकन करने वाली एजेंसी NCAER National Council of Applied Economic Research के द्वारा वर्ष 2020–2021के लिए बिहार को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। बिहार ने मात्र एक साल में 125 प्रतिशत सुधार कर यह यह उपलब्धि हासिल की है ।इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर केरल 99.9 तथा त्रिपुरा 69.9 के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस क्रम में बिहार ने भू–अभिलेख के डिजीटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी रहे राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

NCAER National Council of Applied Economic Research के द्वारा इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें तीन राज्य मध्यप्रदेश, ओड़िशा तथा बिहार को अपनी पहली एवं नवाचार बताने के लिए आमंत्रित किया गया है ।यह राज्य और विभाग के लिए गर्व की बात है।

उल्लेखनीय है कि 2020में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन भूमि दखल–कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा का शुभारंभ किया था। इस सुविधा के शुरू हो जाने से लोगों को आसानी से भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) उपलब्ध हो रहा है। इससे जहां भूमि विवादों की समस्या कम हुई है, वहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी लोगों को मुक्ति मिली है।

NCAER SINCE 1956

THE NCAER LAND POLICY INITIATIVE

The NCAER Land Record and Services Index 2021
N-LRSI 2021

Certificate of Appreciation

This is to recognise the important advances in land records & services in 2020 achieved by

BIHAR

which is the most progressive state on the NCAER Land Record and Services Index 2021

Shekhar Shah

Shekhar Shah
Director General, NCAER

वर्ष-1, अंक 1, सितम्बर, 2021

नक़्श-ए-क़दम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मासिक पत्रिका

संरक्षक

राम सूरत कुमार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

प्रधान सम्पादक

विवेक कुमार सिंह

प्रबंध सम्पादक

जय सिंह

सम्पादक मंडल

सुशील कुमार

नवल किशोर

कंचन कपूर

चद्रंशेखर प्रसाद विद्यार्थी

राजेश कुमार सिंह

आनंद शंकर

कार्यकारी सम्पादक

विनोद कुमार

संपर्क:

राजस्व प्रशिक्षण संस्थान

सर्वे भवन,शास्त्रीनगर

पटना– 23

'नक्श–ए–कदम' याने पदचिन्ह, कदमों के निशान। जाहिर है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की यह नई शुरुआत अपने ऐसे ही कार्यों से आमलोगों को रु–ब–रु कराने की होगी, जिस पहल ने कहीं–न–कहीं एक मिसाल बनाए हैं। बिहार का आधार ही भू संपदा है, यहां की उपजाऊ धरती ने अभी तक लोगों को खेती से जोड़ कर रखा है, अधिकांश आबादी किसी न किसी रूप में खेती से प्रभावित होती है। इस स्थिति में विभाग निरंतर 'पीपुल फ्रेंडली' बनने की कोशिश में सक्रिय है। हमारी कोशिश है कि जमीन संबंधी हरेक मामले आमजन के लिए सहज और सरल हो जाएं,ताकि उसके निष्पादन में लगने वाले महत्त्वपूर्ण समय का वे राज्य हित में रचनात्मक उपयोग कर सकें।

राज्य में 'भू सर्वेक्षण' के कार्य को इसी उद्देश्य से गति प्रदान की गई। वास्तव में किसी भी राज्य के लिए सटीक भू सर्वेक्षण– राज्य के हित और निजी हित– दोनों के लिए ही आवश्यक है। आश्चर्य नहीं कि बिहार में भू सर्वेक्षण के कार्य को सबसे पहले भारत सरकार द्वारा 1873 में ही प्रारंभ किया गया था। बिहार में पहला भू–सर्वेक्षण 1890 के बाद प्रारंभ किया गया, जो लगभग वर्ष 1920 तक चला। इस सर्वेक्षण में पहली बार हरेक गांव की भूमि के पैमाना आधारित खतियान बनाए गए और इस सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार में 1950 में भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर वर्ष 1952 से पुनरीक्षित भू–सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया।

इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ होने पर आधुनिक समय की आवश्यकताओं और भू–संरचना एवं स्वामित्व में हुए व्यापक परिवर्तन को देखते हुए एक नए भू–सर्वेक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित भू–सर्वेक्षण का कार्य करने के उद्देश्य से ''बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011'' एवं नियमावली, 2012 अधिसूचित की गई। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम में 2012 एवं 2017 में तथा नियमावली में वर्ष 2019 में संशोधन किए गए। वर्तमान में इसी अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया गया है।

विभाग द्वारा राज्य के भू–अभिलेखों के संरक्षण एवं रख–रखाव के लिए भी महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अंचलों के भू–अभिलेखों को संरक्षित कर उनके रख–रखाव के साथ–साथ आम जनता को उनकी आवश्यकतानुसार मानचित्र एवं अन्य कागजातों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक अंचल में एक आधुनिक अभिलेखागार भवन की स्थापना के क्रम में मार्च, 2021 तक राज्य के 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके साथ ही जिला अभिलेखागारों में संरक्षित महत्त्वपूर्ण भू–अभिलेखों एवं दस्तावेजों को आधुनिकतम तकनीक की सहायता से स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

यह पत्रिका विभाग से जुडने और विभागीय पहल का लाभ उठाने में आमजन के लिए सहायक होगी।

शुभकामनाओं के साथ

विवेक कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा बैठक

कार्य प्रगति का ऑन द स्पॉट जायजा

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अगस्त के महीने में दो प्रमंडलों में राजस्व विषयों की समीक्षा की गई। भागलपुर प्रमंडल की समीक्षा 5 अगस्त को और पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षा 6 अगस्त को की गई। दोनों प्रमंडलों में आयोजित बैठकों की अध्यक्षता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री श्री राम सूरत कुमार द्वारा की गई। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार सिंह, भू–अभिलेख और परिमाप निदेशालय के निदेशक श्री जय सिंह समेत विभाग के सारे आला अधिकारी मौजद थे। इस बैठक में संबंधित प्रमंडलों के आयुक्त और वहां के जिलाधिकारी के अलावे राजस्व प्रशासन की शाखाओं से जुड़े सभी अधिकारी यथा– अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और अंचल अधिकारी उपस्थित थे।

विभाग की कोशिश होती है नियमित अंतराल पर राजस्व प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जिलावार एवं अंचलवार समीक्षा की जाए ताकि प्रगति का ऑन द स्पॉट जाएजा लिया जा सके और कमजोर एवं खराब काम करने वाली इकाइयों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस क्रम में राजस्व संबंधी विषय यथा दाखिल–खारिज, परिमार्जन, ऑपरेशन दखल देहानी, भूमि–विवाद, लंबित राजस्व वाद एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण इत्यादि की समीक्षा की गई।

प्रमण्डलवार विभिन्न पदाधि–कारी के कार्यों की समीक्षा की गई। खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों की विशेष समीक्षा की गई तथा उन्हें कार्य में प्रगति लाने एवं प्रदर्शन सुधारने संबंधी दिशा–निर्देश दिया गया। राजस्व संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने, समय सीमा में आवेदन के निष्पादन एवं भूमि विवाद के निराकरण पर पदाधिकारियों को दिशा–निर्देश दिशा गया।

समीक्षा बैठक में अंचलों में जल्द शुरू होने वाले मॉर्डन रेकॉड रूम के संचालन एवं लाभ के विषय में परिचर्चा की गई तथा इसे सभी अंचलों में जल्द संचालन पर जोर दिया गया। बताया गया कि इससे जनता 16 प्रकार के राजस्व अभिलेख सुगमतापूर्वक स्थानीय रूप में प्राप्त कर सकेगी। इसके लिए उन्हें मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। फिलहाल पूरे सूबे में 142 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार चालू होने की हालत में हैं जबकि कई अन्य में उपस्करों की खरीद की जा रही है।

दोनों प्रमंडलों के कई जिलों में इस समय विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बैठक में बिहार विशेष सर्वेक्षण की जिलावार समीक्षा की गई तथा इसके तय समय में पूरा कर लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। मंत्री महोदय ने कहा कि सर्वेक्षण उपरांत भूमि–विवाद में काफी कमी आयेगी तथा कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने भूमि का ऑनलाइन रिकॉड देख सकता है।

6 अगस्त को पूर्णिया में राजस्व की प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेते हुए विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप

नवनियोजित अमीनों का प्रशिक्षण

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री राम सूरत कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में नव नियोजित अमीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री विवेक कुमार सिंह, भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशक, श्री जय सिंह सहित विभाग एवं सभी निदेशालयों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महीने तक चला। इसमें 15 दिन का सैद्धांतिक एवं 15 दिन का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी अमीनों की परीक्षा ली गई और उसमें उत्तीर्ण होनेवाले अमीन का पदस्थापन कर दिया गया। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा 550 अमीन की नियुक्ति हेतु मार्च, 2019 में विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 534 अमीन का अंतिम रूप से चयन हुआ, जिसमें से 487 अमीनों ने शास्त्रीनगर स्थित सर्वेक्षण निदेशालय में अब तक अपना योगदान दिया है।

एक माह के प्रशिक्षण के बाद सभी अमीन की सेवा जिला बंदोबस्त पदाधिकारियों को सौंप दी गई। बंदोबस्त पदाधिकारियों ने जरूरत के हिसाब से अंचलों में इनकी प्रतिनियुक्ति कर दी है। गौरतलब है कि बिहार में अमीन की भारी कमी है। दो–तीन अंचल पर एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें भी पुराने अमीन लगातार सेवा निवृत हो रहे हैं। भू–अर्जन, चकबंदी एवं सर्वे के अमीन से अंचल का काम कराया जा रहा है। भूमि विवाद सुलझाने में, विवाद की स्थिति में कोई निर्णय लेने में, न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन में या विकास योजनाओं के लिए भूमि के आवंटन में अमीन की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है।

इस मौके पर बोलते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि अमीन का पद काफी महत्त्वपूर्ण है। अमीन मुख्य रूप से जज की भूमिका निभाते हैं। आपके ही फैसले पर बाद में बड़ी–बड़ी अदालतों के फैसले लिखे जाते हैं। आपका महत्व किसी भी रूप में किसी सी.ओ. या डी.एम. से कम नहीं है। फैसले लेने में शुरु में परेशानी होगी, दवाब पड़ेगा लेकिन उससे घबड़ाना नहीं है। नींव आप हैं, नींव मजबूत होगी तभी मजबूत इमारत का निर्माण संभव है। जमीन विवाद रोज बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसलिए भी अमीन के काम का महत्त्व काफी बढ़ गया है।

इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री विवेक कुमार सिंह ने नवनियोजित अमीनों का स्वागत करते हुए कहा कि विभाग द्वारा आपका भव्य स्वागत इसलिए किया जा रहा है क्योंकि विभाग की नजर में आपकी अहमियत काफी अधिक है। आप अपने लिए तो काम करें ही, विभाग की प्रतिष्ठा एवं छवि को बेहतर बनाने के लिए भी काम करें। लोगों में अगर आपकी छवि अच्छी बनेगी तो आपको काफी मान–सम्मान मिलेगा।

बिहार में भूमि–सर्वेक्षण

बिहार में भू–सर्वेक्षण के कार्य को सर्वप्रथम भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1873 में प्रारंभ किया गया था। पूर्व में सर्वे निदेशालय और भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अलग–अलग विभाग के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 1913 में इन दोनों विभागों को मिलाकर एक कर दिया गया। वर्ष 1955 तक भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व पर्षद के अधीन था। वर्त्तमान में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय वर्ष 1956 से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन स्वतंत्र निदेशालय के रूप में अस्तित्व में आया।

बिहार राज्य में पहला भू–सर्वेक्षण बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष 1890 के बाद प्रारंभ किया गया, जो लगभग वर्ष 1920 तक चला। इस सर्वेक्षण में पहली बार ग्रामवार भूमि के पैमाना आधारित मानचित्र एवं अधिकार–अभिलेख (खतियान) बनाए गए और इस सर्वे को कैडेस्ट्रल या साविक सर्वे के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता पश्चात् बिहार में वर्ष 1950 में भूमि सुधार अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर वर्ष 1952 से पुनरीक्षित (रिविजनल) भू–सर्वे प्रारंभ किया गया। यह सर्वे पूर्व में किए गए सर्वे का पुनरीक्षण था और इसका आधार एवं सम्पूर्ण कार्य–प्रणाली विगत कैडेस्ट्रल सर्वे के समान ही थी।

इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ होने पर आधुनिक समय की आवश्यकताओं और भू–संरचना एवं स्वामित्व में हुए व्यापक परिवर्त्तन को देखते हुए एक नए भू–सर्वेक्षण की आवश्यकता

महसूस की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित भू–सर्वेक्षण का कार्य करने के उद्देश्य से "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011" एवं नियमावली, 2012 अधिसूचित की गई। आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम में 2012 एवं 2017 में तथा नियमावली में वर्ष 2019 में संशोधन किए गए साथ ही वर्ष 2019 में 'तकनीकी मार्गदर्शिका' भी अधिसूचित की गई। वर्त्तमान में इसी अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया गया है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत मुख्यतः संचालित होनेवाले कार्यक्रम एवं योजनाएँ निम्नवत हैं:–

- राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य।
- भू–अभिलेखों का कम्प्यूटराईजेशन।
- राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन एवं सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण एवं संचालन।
- राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से नवचयनित तथा कार्यरत कर्मियों का क्षमतावर्द्धन।
- DILRMP (Digital India Land Record Modernisation Programme) के विभिन्न अवयवों का क्रियान्वयन।

राज्य के 38 जिलों के 534 अंचल अंतर्गत 45899 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 2012, 2015 एवं 2016 में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–3 के आलोक में सभी जिलों को अधिसूचित कर दिया गया है। इस अधिसूचना के आलोक में सर्वप्रथम नालंदा जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करते हुए उपलब्ध मानवबल और संसाधन की उपलब्धता के अनुसार राज्य के 13 जिलों के चयनित अंचलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। किन्तु इन जिलों में कार्यबल की

पर्याप्त उपलब्धता का अभाव एवं तकनीकी तथा वैधानिक समस्याओं के कारण आशानुरूप प्रगति नहीं हो पाई। इन समस्याओं के समाधान के रूप में वर्ष– 2019 में नियमावली में व्यापक संशोधन एवं तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रकाशन के साथ 6875 संविदा आधारित पदों का सृजन किया गया। वर्ष 2019–20 में नियोजन की सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए दिनांक–31.03. 2020 तक सभी नियोजन कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रेषित कर दिया गया। वर्ष 2020–21 में मार्च, 2020 से कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न विश्वव्यापी संकट और देशव्यापी लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में सभी नवचयनित कर्मियों को योगदान पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत् ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में पदस्थापित किया गया। वर्त्तमान में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–1600 दिनांक–20.09.2019 द्वारा चयनित बीस जिलों के कुल 220 अंचलों में से निदेशालय के पत्रांक–10009 दिनांक–20.06.2020 द्वारा चयनित 89 अंचलों में 208 विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित कर विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

जुलाई–अगस्त, 2020 से पदस्थापित इन नवनियोजित कर्मियों द्वारा सर्वप्रथम चयनित 5127 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की जिला स्तरीय उद्घोषणा पश्चात् प्रत्येक ग्राम/पंचायत में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम सभाएँ की गई हैं। रैयतों से उनकी भूमि की स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त कर विगत सर्वेक्षण के खतियान की खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) तैयार की गई है। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए सरकारी विभागों से उनकी भूमि की विवरणी प्राप्त की गई है। प्रत्येक ग्राम के मानचित्र निर्माण के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ मिलकर त्रि–सिमाना एवं ग्रामसीमा के निर्धारण का कार्य करते हुए किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य प्रारंभ किया गया।

जिन 20 जिलों में भू–सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, वहां के कुछ जिलों में सर्वे का काम एडवांस स्टेज में है और यहां इस साल के आखिर में काम पूरा हो सकता है। इनमें शेखपुरा, सुपौल, बेगूसराय और मुंगेर जिलों के 65 मौजे शामिल हैं। इनमें शेखपुरा के 14 मौजा, सुपौल जिला के 4, बेगूसराय जिला के 26 मौजे और मुंगेर जिला के 21 मौजे शामिल हैं। उक्त 65 मौजों के अतिरिक्त प्राथमिकता के 20 जिलों के जिन मौजों में काम की रफ्तार संतोषजनक है, वहां काम को और तेज करने के उपाए किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता के 20 जिलों के बाकि 131 अंचलों में भी शिविरों का गठन कर लिया गया है और ग्राम सभा एवं तेरीज लेखन का काम किया जा रहा है।

भू–अर्जन निदेशालय

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भू–अर्जन निदेशालय सरकार की विभिन्न लोक हित की योजनाओं के लिए भूमि अर्जन का काम करता है। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा RFCTLARR Act–2013, एन0एच0 एक्ट एवं रेलवे एक्ट के तहत राज्य अंतर्गत लोकहित की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के निमित्त भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार की महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में गंगा जल उद्वह योजना, जो राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य नालंदा, नवादा एवं गया जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गंगा नदी के अतिरिक्त जल का समुचित प्रबंधन करते हुए पाईप लाईन के माध्यम से आपूर्ति करना है, के लिए नालंदा/नवादा/पटना एवं गया जिला में कुल–154.69 एकड़ भूमि के भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना बक्सर जिलान्तर्गत थर्मल पावर प्रोजेक्ट निर्माण के निमित्त कुल–137.07 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए एस. एस.बी. के बी.ओ.पी. एवं इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण हेतु आपत प्रक्रिया अंतर्गत भू–अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है तथा राज्य के विभिन्न जिलों एवं अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय एवं आवास हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त पटना मेट्रो रेल परियोजना के निमित्त पटना में लगभग 75.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई प्रकियाधीन है। उक्त वर्णित परियोजनाओं के निमित्त भूमि अर्जन की कार्रवाई कर अधियाची विभाग को भूमि उपलब्ध करायी गई है, ताकि महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य को त्वरित गति से ससमय पूर्ण किया जा सके।

सारण : स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता में उपलब्ध को कराई गई भूमि

सारण जिला 25.30'' एवं 26.13'' आक्षांश 85.24'' एवं 85.15'' देशान्तर के मध्य अवस्थित है,

जिसका क्षेत्रफल 2641 वर्ग कि. मी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार 3951862 है।

इस जिला में तीन अनुमण्डल एवं 20 राजस्व अंचल हैं तथा कुल राजस्व ग्राम 1807 हैं। विकास के प्रमुख कारकों में भूमि सबसे महत्तवपूर्ण है। विगत वर्ष में कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए प्रा. स्वा. केंद्रों, स्वा. उप केन्द्रों, सामुदायिक स्वा. केन्द्रों के भवनों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में है।

सारण जिला में एक वर्ष के अन्तर्गत 24 स्वा. केन्द्र, 6 अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कुल 240 एकड़ भूमि स्वाथ्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी है।

तीन थाना तीन ओ.पी. के लिए कुल 2.50 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है। उक्त परियोजनाओं के साथ–साथ जैसे छपरा कारा मंडल को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने हेतु तथा मढ़ौरा अनुमण्डल के अन्तर्गत 1000.00 कैदियों की क्षमता हेतु कारा मंडल स्थापित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

निकास की वृहत परियोजनाएं यथा रेलवे (छपरा–मुजफ्फरपुर बड़ी रेललाईन) के लिए 341.40 एकड़ भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 402.4842 हेक्टेयर एकड़ भूमि अर्जित की गयी है तथा इसके लिए सम्बन्धित रैयतों को 80 प्रतिशत मुआवजा का भुगतान हो गया है। 20 प्रतिशत भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्षों से लंबित एंव माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से अच्छादित सदर के ग्राम विशुनपुरा में अवस्थित पूर्व से बाढ़–कटाव पीड़ितों के लिए वर्ष

1976–77 में 1.99 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी, जो किसी कारणवश खाली रह गई। कालातंर में उक्त अर्जित भूमि पर अनधिकृत रूप से दशकों पूर्व दंबगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। उक्त भूमि जो राष्ट्रीय उच्च पथ–19 के लिए उपयुक्त थी और अनधिकृत अतिक्रमण के चलते रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में बाधक थी। समाहर्ता द्वारा उक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध अतिक्रमण अपील वाद संख्या– 1/1994 एवं 2/1994 में दिनांक–11.03.2013 को आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध अतिक्रमणकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्लू.जे.सी. नं.–21228/2013 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.01.2021 को उक्त मामले में पुनःविचारण हेतु समाहर्त्ता, सारण को Remand किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उपयुक्त न्यायादेश के आलोक में समाहर्त्ता, सारण के द्वारा पक्षकारों के विधिवत सुनवाई के उपरान्त उक्त अधिग्रहित भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया। समाहर्त्ता के उक्त आदेश के आलोक में अपर समाहर्त्ता, सारण के नेतृत्व में एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समुचित कार्रवाई करते हुए दिनांक–04 अप्रैल, 2021 को 45 अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त कराया गया है तथा त्वरित गति से निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गैस पाईप लाईन बिछाने के लिए यथाः– रिविलगंज, मॉझी, दिघवारा, मढौरा, दरियापुर, एवं मकेर अंचलान्तर्गत आयोजित होने वाली भूमि का एफ.आर.ए, 2006 प्रमाण पत्र हितबद्ध रैयतों से सहमति प्राप्त कर पत्र निर्गत किया जा चुका है।

उक्त वृहत्त परियोजनाओं के साथ–साथ जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क विहित ग्रामों/ टोलों को मुख्य सड़क मार्ग से संपर्क एवं आवागमन की सुविधा के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गयी है।

उपरोक्त उपलब्धियों के अतिरिक्त विगत वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार को कार्यकारी बनाने हेतु जिले में प्रथम चरण में 5 अंचलों यथा सदर, मढ़ौरा, मॉझी, सोनपुर एवं दिघवारा के लिए सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में क्रियाशील बना दिया गया है। शेष अंचलों में डाटा केन्द्रों को क्रियाशील बनाने की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है।

जमाबंदियों के डिजिटाईजेशन के क्रम में कुछ जमाबंदियों के रैयतों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विकसित पोर्टल परिमार्जन पर प्राप्त शिकायतों/परिवादों का निस्तारण द्रुत गति से किया जा रहा है, जिले में कुल 29292 शिकायत/परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 26206 का निस्तारण किया गया है, जो 89.46 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री किसान निधि अन्तर्गत इस जिले में कुल 832289 किसान हैं जिसमें 507685 किसान को इस योजना के अन्तर्गत लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत यह जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर है।

अपर समाहर्त्ता के स्तर से उत्पाद अधीहरण के कुल 884 मामलों में जब्त वाहनों/भवनों/ परिसम्पतियों को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया है।

विगत वर्ष एवं इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में विशेष परस्थिति में स्थानीय/ अन्तर जिला/ अन्तर राज्यीय वाहन पास निर्गत करने, जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनवरत अनुश्रवण, आवश्यतानुसार पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की गई।

इन कार्यों के लिए दिनांक–15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा डॉ. गगन, अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है।

छपरा सदर अंचल के विशुनपुरा गाँव में अतिक्रमण हटाती राजस्व अधिकारियों की टीम

कटराव गाँव : जहाँ न विवाद, न एफ आइ आर

''कचहरी न जाना'' इलाहाबाद के जनप्रिय कवि कैलाश गौतम जी की एक प्रसिद्ध कविता है कविता लंबी है पर उसकी शुरुआत की चन्द पंक्तियों से आपको परिचय करवाता हूँ,

''भले डांट घर में तू बीबी की खाना
भले जैसे–तैसे गिरस्ती चलाना
भले जा के जंगल में धूनी रमाना
मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना
कचहरी न जाना
कचहरी न जाना''

कविता आगे बढ़ती है और आपको लगने लगता है कि कवि अपनी कविता नहीं कह रहे प्रत्युत लोगों को पुचकार रहे हैं, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर कचहरी नहीं जाना।

और इस कविता से सबक कितनों ने ली यह तो कचहरियों की भीड़ देखकर स्वयंसिद्ध है।

पर आज मुझे चंपारण के एक ऐसे अद्भुत गाँव मे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ के लोग आज तक कभी भी किसी कोर्ट या पुलिस थाने में नही गए। यह अपने आप में एक अनोखा प्रतिमान है कि इस गाँव के लोग कभी किसी केस मुक़दमे के चक्कर मे नहीं पड़े। ऐसा नही है कि इस गाँव में कभी कोई विवाद नही हुआ पर विवाद के निपटारे के लिए यहाँ एक अलग ही पद्धति या परंपरा है जिसका पालन यहाँ के लोग सदियों से करते आ रहे हैं।

जी हाँ, यह गाँव है बेतिया जिले के गौनाहा प्रखंड के जमुनिया पंचायत का "कटराव"। नरकटियागंज –भिखनाथोड़ी मुख्य मार्ग पर ठीक रोड के किनारे अवस्थित है यह छोटा सा प्यारा सा ; गाँव जहाँ लगभग 100 थारू जनजाति के परिवार रहते हैं। कुछेक मुस्लिम परिवार और कुछ सैंथवार समाज के लोग भी इस गाँव में रहते हैं।

थारू जनजाति इस जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, जो बहुत ही भोली–भाली, निश्छल, ईमानदार और मेहनती कौम है। इस क्षेत्र में लोगों का वर्गीकरण भी "थारुआन" और "बज्जीआन" के रूप में है । तराई वाले थारू लोगों का क्षेत्र थरुहट और वहाँ के लोग थारुआन कहलाए, शेष वज्जि प्रदेश के लोग बज्जीआन कहलाए । ब्रिटिश जमाने में थारू लोगों का मुख्य काम था जंगल से लकड़ी (मुख्यत: जलावन की) को लाना और बसावट वाले क्षेत्रों और शहरों में बेचना। उस जमाने में ब्रिटिश प्राधिकारों ने प्रत्येक थारू गाँव में गाँव के ही एक समझदार व्यक्ति को "गुमस्ता" के रूप में बहाल किया, जिसके अनुशंसा के आधार पर ही गाँव के लोगों को जंगल से लकड़ी लाने की परमिट मिलती थी ।

कालांतर में ''गुमस्ता''का पद एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में विकसित हुई और थारू समाज के

लोग अपने गाँव के विवाद को आपसी सहमति से गुमस्ता के निर्णय को सहर्ष मानकर सुलझा लेते थे । गुमस्ता बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से समाज की सहमति से और अपनी सूझ–बूझ से गाँव के मामलों को सुलझा लेता था । लोगों को थाना, कोर्ट जाने की आवश्यकता नही होती थी। अधिकांश गुमस्ता वंशानुगत होने लगे पर लोग जब चाहते सहमति से गुमस्ता को बदल दिया करते ।

थारू समाज के सभी गाँव में आज भी गुमस्ता होते हैं, जिनके पास लोग पंचायती के लिए जाते हैं, परंतु पंचायती राज की संस्थाएं यथा वार्ड, पंच, सरपंच, मुखिया आदि के प्रभाव/कुप्रभाव में उनकी परम्परागत गुमस्ता नामक संस्था कमजोर होती गई और लोग अपने विवाद के समाधान हेतु थाना, कोर्ट जाने लगे।

पर ऐसे दौर में भी यह गाँव ''कटराव ''अपने आप में एक मिसाल है जो आज भी परम्परागत रूप से चली आ रही गुमस्ता के लोकतांत्रिक और सहमति आधारित व्यवस्था पर अटूट भरोसा रखता है और गाँव का विवाद आजतक गाँव से बाहर नहीं गया ।

इस गाँव के गुमस्ता हैं 'विनय कुमार गौरव', जिनके दादा और पिता जी भी इस गाँव के गुमस्ता रहे। आज भी इस गाँव के लोग इस तीसरी पीढ़ी पर भी वैसे ही निश्चल भरोसा करते हैं। विनय जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अपना काम करूँ लेकिन गाँव की जिम्मेदारी से बंधा महसूस करता हूँ और दादा जी और पिता जी की विरासत का निर्वहन कर रहा हूँ। गाँव के लोग इनका बहुत सम्मान करते दिखे।

यहाँ के पंच (पंचायती व्यवस्था से निर्विरोध निर्वाचित) गंगा विष्णु महतो कहते हैं कि यहाँ का चुनाव भी हमलोग आपसी सहमति से तय करके निर्विरोध ही जीतते आ रहे हैं। विष्णु जी दुबारा निर्विरोध जीते हैं और गाँव के लोग इस बार भी इनके नाम पर सर्वसम्मति रखते हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं अंचल अधिकारी हूँ, दिन भर में सैकड़ों जमीन विवाद मेरे पास आते हैं, आपके गाँव का जमीन विवाद का निपटारा कैसे होता है? इसके जवाब में वो मुस्कुरा कर कहते हैं; विवाद के का बा ? जमीन के जेकर कागज होइ, ओकरे दावा मान्य होई, हमनी के बैठ के सब आपस मे समझ लेनी जा।'' मैं सोच रहा था कि काश सभी जगह के लोग इतने सरल और सहज होते तो कितना सरल होता जमीन का विवाद सुलझाना।

गंगा विष्णु महतो के पूर्व इस गाँव के सरपंच रहे बमभोला महतो (ये भी निर्विरोध) कहते हैं– "सर हमनी के अइसे तो कउनो विवाद कबहु न होला पर कभी हो भी जाई छोट मोट विवाद त हमनी के सभे लोग बइठीं ल जा अउर समाधान हो जाला।"

गाँव घूमने के क्रम में विनय जी ने एक घर दिखाया जो चम्पा देवी का था, जब फ़ोटो लेने लगा तो शर्मा के झेंप गयीं पर जब सहज हुईं तो बताया कि पिछले साल उस समय के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय जी इस गाँव की चर्चा (कि इस गाँव मे आजतक एक भी FIR नही हुआ) सुनकर जब आए तो इनके घर में रोटी, नमक और मिर्च खाए और इनके घर मे रखे जांता–चक्की को भी चलाया। बहुत गर्व और उत्सुकता से चम्पा देवी ने अपने घर के जांता–चक्की को दिखाया। इनका घर मिट्टी का था पर सफाई इतने आला दर्जे की लगा जैसे मंदिर में आए हों।

गाँव के लोगों ने आपस में चन्दा मिलाकर एक हनुमान जी की छोटी सी मंदिर बनवाए और ईमानदारी और लोकतांत्रिक व पारदर्शी व्यवहार की मिसाल देखिए कि इन्होंने मंदिर में लगे कुल लागत को भी इसपर पेंट किया हुआ है, मंदिर निर्माण लागत खर्च रु. 49,489/–।

इस गाँव में मैंने थोड़ा सा वक्त बिताया लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। आदर्श गांव की जो परिकल्पना हो सकती है, यहाँ साकार दिखी। काश कि अन्य गाँव भी ऐसा होते !

राहुल कुमार
अंचल अधिकारी, नरकटियागंज

बाएँ से दाएँ पंच गंगा विष्णु महतो, गुमस्ता विनय कुमार गौरव, अंचल अधिकारी नरकटियागंज राहुल कुमार

ऑनलाइन हुआ स्व-घोषणा एवं वंशावली का प्रपत्र

बिहार में जारी भूमि सर्वेक्षण में रैयत अब अपनी भूमि का ब्यौरा ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। साथ ही अपनी वंशावली को भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। निदेशालय के वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in में 'रैयत द्वारा धारित भूमि की स्वघोषणा' नाम से एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के सहारे वेबसाइट पर जाकर अपनी जमीन का ब्यौरा और अपनी वंशावली अपलोड किया जा सकता है।

भूमि के सर्वेक्षण में जमीन के ब्यौरा के लिए प्रपत्र–2 है जबकि वंशावली को 2 पृष्ठों के प्रपत्र–3;1 में भरना है। कुल 22 प्रपत्र हैं, इसमें पहला प्रपत्र सर्वेक्षण की अधिघोषणा से है जबकि प्रपत्र–20 के जरिए सर्वेक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाता है।

ये दोनों काम महत्त्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इनसे प्राप्त होने वाली जानकारी को शामिल किए बगैर सर्वे का काम आगे नहीं बढ़ सकता है और ये दोनों काम रैयत ही कर सकता है।

किस रैयत के पास कितनी भूमि है, उसका खाता–खेसरा क्या है, रकवा कितना है, ये तमाम जानकारी कोई रैयत ही उपलब्ध करा सकता है। उसी तरह हरेक के पूर्वजों की सबसे बेहतर जानकारी भी उसी इंसान को होगी। जनप्रतिनिधि जैसेः– मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड सदस्य उसकी पुष्टि भर कर सकते हैं।

दरअसल, भूमि सर्वेक्षण में स्वघोषणा एवं वंशावली का काफी महत्व है। पैतृक संपत्ति के बारे में जानकारी के लिए रैयत के वंशावली की जरुरत होती है जबकि स्वघोषणा के जरिए रैयत अपने द्वारा धारित भूमि के बारे में सरकार को जानकारी देता है। सर्वेक्षण का काम शुरु होने पर अमीन द्वारा सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है। ऑनलाइन की सुविधा मिलने से राज्य से बाहर रहनेवाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले रैयतों को अपने द्वारा धारित भूमि के बारे में एक फॉर्म भरकर अपने मौजा से संबंधित शिविर में जाकर जमा करना होता था। इसमें कई बार फॉर्म के खो जाने की शिकायत मिलती थी। अमीन या फिर शिविर लिपिक द्वारा गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी।

इस सुविधा में कोई भी रैयत 3 एम.बी. तक फाइल अपलोड कर सकता है। इसमें 10 पृष्ठ तक की सूचना आसानी से भेजी जा सकती है। अर्थात् प्रपत्रों के 3 पृष्ठों के अलावा कुछ हद तक सहायक दस्तावेजों को भी अपलोड किया जा सकता है। किन्तु, दोनों प्रपत्रों को एकसाथ पीडीएफ बनाकर और एक साथ ही अपलोड करना होगा। इसके लिए निदेशालय के वेबसाइट पर जाकर अपने फोन नंबर के साथ खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अपना मौजा और शिविर का चयन करने के बाद अपने द्वारा धारित (स्वामित्व) भूमि का खाता, खेसरा की जानकारी देनी है। भूमि संबंधी जानकारी को प्रपत्र में भरकर अपलोड करने की सुविधा पेज के आखिर में दी जाएगी। प्रपत्र सही तरीके से अपलोड होने के साथ ही रैयत के मोबाइल पर कन्फर्मेशन का मैसेज जाएगा।

प्रपत्र–2

(देखें नियम–6 उप नियम–(1))

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व–घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्राम–.. थाना नं०–.. हल्का नं०–..............................

रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा						जमाबंदी सं०	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्त	अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकबा ए० डी०	चौहदी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।

नोट– इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थान:

तिथि:

रैयत का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
मोबाईल नं० एवं आधार सं०

प्रपत्र 3 (1)

वंशावली

अधिनियम की धारा 5 (1)

सेवा में,

शिविर प्रभारी
अंचल...
जिला...

विषयः– स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i) श्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...
(ii) श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...
(iii) श्री/श्रीमती.. श्री/श्रीमती...

पुत्री (यों), पत्नी.....................................निवासी...............................ग्राम.................................थाना..........................अंचलः–..............
.... जिला..........................**जाति**.............................
ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। में अंकित है स्व.........
.... पिताः–.. ग्राम ....
जो राजस्व ग्रामः–.................. अंचलः–...............................के जमाबंदी क्रमांक संख्या...में प्रविष्ट थे,
की......................................./खतियान में अंकित खाता संख्या..खेसरा संख्या.......................रकबा..........
..................................लगान... को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है।
मैं/हमलोगों निम्न वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित आर्जित किया हूँ/हैं। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी–।। के अनुसार)
(नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तरधिकार के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर सम्बन्धित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–याचिकाकर्त्ता/(ओं) का वंशवृक्ष टेबल
पारपृष्ठ पर संधारित है।

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर

अब घर बैठे देख सकते हैं अपने प्लॉट का नक्शा

ऑनलाइन हुआ एलपीएम

बिहार विशेष सर्वे का काम जैसे–जैसे आगे बढ़ रहा है, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय परंपरागत और मैनुअल कार्य पद्धति को तकनीक आधारित कार्य प्रणाली में तब्दील करते जा रहा है।

निदेशालय ने उन मौजों में जहां खेसरा पंजी तैयार हो चुकी है, एल.पी.एम. वितरण का काम ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अब गांव के बाहर रहने भू–स्वामी भी नए सर्वे में अपने जमीन का नक्शा और उसमें दर्ज अपने नाम को देख सकेगा। इसके अलावा गांव का कोई भी रैयत अपना या पूरे गांव के हरेक प्लॉट का नक्शा एवं उसके मालिक का नाम देख और प्रिंट कर सकता है।

एल.पी.एम. अर्थात लैंड मैप पार्सल। जैसे हरेक गांव का एक नक्शा होता है, वैसे ही हरेक प्लॉट यानि पार्सल का एक नक्शा होता है। यह नक्शा गांव के नक्शे के उलट A-4 साइज के कागज पर प्रिंट किया जाता है।

भूमि सर्वेक्षण के दौरान किस्तवार और खानापुरी के बाद जब अमीन द्वारा गांव का खेसरा पंजी तैयार कर लिया जाता है तो उसके आधार पर एल.पी.एम. जेनरेट किया जाता है। इसे गांव के हरेक रैयत को हार्ड कॉपी में दिया जाता है। ताकि वो इसमें किसी तरह की त्रुटि अगर है, तो उसकी पहचान कर लें और उसे सुधार करवा लें।

अपना एल.पी.एम. प्रिंट करने के लिए आपको भू–अभिलेख और परिमाप निदेशालय के वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर भू–नक्शा लिंक को क्लिक करना होगा। इससे एक नया पेज खुलेगा जिसपर जाकर आपको अपने जिला, अंचल और मौजा का नाम चुनना है। इस पृष्ठ पर मौजूद बाकि तीन विकल्पों को छोड़ देना है। उक्त तीनों विकल्पों के चयन के बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपके गांव में हुए नए विशेष सर्वे का नक्शा मिलेगा। आप सीधे अपने प्लॉट को क्लिक कर सकते हैं या सर्च में जाकर भी अपने प्लॉट को खोज सकते हैं। प्लॉट नंबर को क्लिक करने के साथ ही पेज के बाएं में उससे संबंधित तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध हो जाएगी। इसमें नए प्लॉट का नंबर, रकवा, मालिक का नाम–पता, उसकी चौहद्दी हरेक चीज दर्ज रहेगी। अगर किसी रैयत का एक से अधिक प्लॉट है तो नीचे में तमाम प्लॉट का लिस्ट मौजूद रहेगा। बारी–बारी से तमाम प्लॉट का एल.पी.एम प्रिंट किया जा सकता है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

बिहार राज्य की अधिसूचना संख्या–800 दिनांक–22.12.11 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं अधिसूचना संख्या–328 दिनांक–12.07.12 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली को प्रकाशित करने के साथ ही सम्पूर्ण बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य का मार्ग प्रशस्त हो गया।

वर्ष–2011–12 से अब तक इस दिशा में हुए महत्त्वपूर्ण कार्यों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष 2020–21

वर्ष 2020–21 कोविड–19 की कठिन चुनौतियों के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष के प्रारंभ से ही देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य भी प्रभावित हुआ। इस वर्ष नियोजित कर्मियों के प्रशिक्षण, पदस्थापन, जिला स्तर पर कार्यो की निरन्तरता इत्यादि के संबंध में अनेक चुनौतियाँ/समस्याएँ परिलक्षित हुई जिनके लिए निदेशालय स्तर पर की गई कृत कार्रवाई निम्नवत है :–

1.नवनियोजित सर्वेक्षण कर्मियों का विशेष प्रशिक्षण

विशेष सर्वेक्षण के लिए नियोजित किए गए 6325 पदों के अभ्यर्थियों को लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में योगदान करवाना और प्रशिक्षण देना एक कठिन चुनौती थी। इसे पूरा करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को योगदान पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम अंतर्गत 15 अप्रैल से 30 जून तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा कानूनगो को लॉकडाउन समाप्त होने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। विशेष सर्वेक्षण से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए दिसंबर, 2020 से मार्च, 2021 तक निदेशालय में कुल 7 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया।

2.पदस्थापन

कोविड–19 के आलोक में निगत दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का योगदान स्वीकार किया गया एवं जिलों में पदस्थापित किया गया।

3.शिविरों का गठन

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या 1600 दिनांक–20.09.2019 के आलोक में राज्य के बीस जिलों के लिए उपलब्ध नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए निदेशालय के पत्रांक–11032 दिनांक–20.10.2020 द्वारा बीस जिलों के 89 अंचलों में 208 विशेष सर्वेक्षण शिविरों का गठन किया गया।

4.MRR (आधुनिक अभिलेखागार) की संचालन प्रक्रिया

DILRMP योजना के तहत राज्य के सभी अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार निर्मित किया जाना है। इनमें 267 अंचलों के लिए आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर के क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन डत्त की संचालन प्रक्रिया एवं इनमें रखे जाने वाले अभिलेखों इत्यादि के बारे में विस्तृत मानक संचालन एवं प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई।

5.विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अधिकार अभिलेख निर्माण में भूमि के स्वामित्व के निर्धारण करने में आनेवाली कठिनाइयों का समाधान हेतु MARBLE

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया के सुनवाई प्रक्रम में भू–स्वामित्व के निर्धारण में आनेवाली कठिनाइयों के समाधान के लिए निदेशालय स्तर से MARBLE (Map and Record Based Land Entitlement) तैयार कर सभी जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उपलब्ध कराया गया।

6.MAGIC (Map and Geographic Information Compilation)

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत मानचित्र निर्माण की

प्रक्रिया में प्रत्येक राजस्व ग्राम की अद्वितीय सीमा रेखा निर्धारित कर प्रत्येक भू–खण्ड की भौगोलिक विशिष्टताओं को संकलित कर सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश के रूप में निदेशालय द्वारा MAGIC (Map and Geographic Information Compilation) तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

7.वर्ष 2019–20 में निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यो के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयरों का उन्नयन

वर्ष 2019–20 में निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए तैयार किए गए विभिन्न सॉफ्टवेयर यथा भू–सर्वेक्षण, भू–नक्शा, GCN, R2R and MIS का सफल क्रियान्वयन करते हुए सभी सॉफ्टवेयरों में आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य प्रारंभ किया गया। इन सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन के लिए संबंधित कर्मियों को इनके User Manual उपलब्ध कराए गए एवं आवश्यकतानुसार संधारित किए जाने वाली प्रविष्टियों के विकल्पों में सुधार की कार्रवाई भी की गई।

8.बंदोबस्त पदाधिकारियों की पदस्थापना

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रभावी होने के बाद वर्ष, 2012 से स्वतंत्र बंदोबस्त पदाधिकारी की पदस्थापना के लिए राज्य से निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा। दिसम्बर, 2020 में निदेशालय के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 20 जिलों में से 19 जिलों में राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र बंदोबस्त पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई।

9.जिला स्तरीय कार्यो का सतत अनुश्रवण

राज्य के 89 अंचलों में गठित 208 विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं प्रत्येक शिविर में पदस्थापित कर्मियों के पर्यवेक्षण के लिए पदाधिकारी स्तर पर POP के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मी द्वारा किए जाने वाले कार्यो के अनुश्रवण के लिए अलग–अलग MIS तैयार किया गया।

10.सरकारी भूमि का संरक्षण

विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्ष तथा जिला के समाहर्त्ताओं को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए। विभागों को उनकी भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए जिला स्तर पर इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निदेश दिया गया।

11.धार्मिक न्यास पर्षद वक्फ बोर्ड, मंदिर मस्जिद इत्यादि की भूमि का संरक्षण

विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में धार्मिक न्यास पर्षद, वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक संस्थानों द्वारा धारित भूमि के संरक्षण के लिए जिलों तथा संबंधित संस्थाओं को दिशा–निदेश निर्गत किए गए।

चयनित जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति

वर्ष 2019–20 के अंत तक विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में कार्यबल की कमी को पूरा करने के लिए 6325 संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन का कार्य पूर्ण किया गया। वर्ष 2020–21 के प्रारंभ से कोविड–19 के कारण हुए लॉकडाउन की अवधि में सभी कर्मियों को योगदान पूर्व उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। तत्पश्चात् सभी कर्मियों को जुलाई–अगस्त, 2020 में विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित बीस जिलों में पदस्थापित करते हुए 89 अंचलोंके अंतर्गत 208 विशेष सर्वेक्षण शिविरों का गठन कर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। जुलाई–अगस्त से पदस्थापित इन नवनियोजित कर्मियों द्वारा सर्वप्रथम चयनित 5127 ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण की जिला स्तरीय उद्घोषणा पश्चात् प्रत्येक ग्राम/पंचायत में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम सभाएँ की गईं। रैयतों से उनकी भूमि की स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त कर विगत सर्वेक्षण के खतियान की खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) तैयार की गई। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए सरकारी विभागों से उनकी भूमि की विवरणी प्राप्त की गई। प्रत्येक ग्राम के मानचित्र निर्माण के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ मिलकर त्रि–सिमाना एवं ग्रामसीमा के निर्धारण का कार्य करते हुए किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य प्रारंभ किया गया।

भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

डिजिटल इकोसिस्टम का विकास

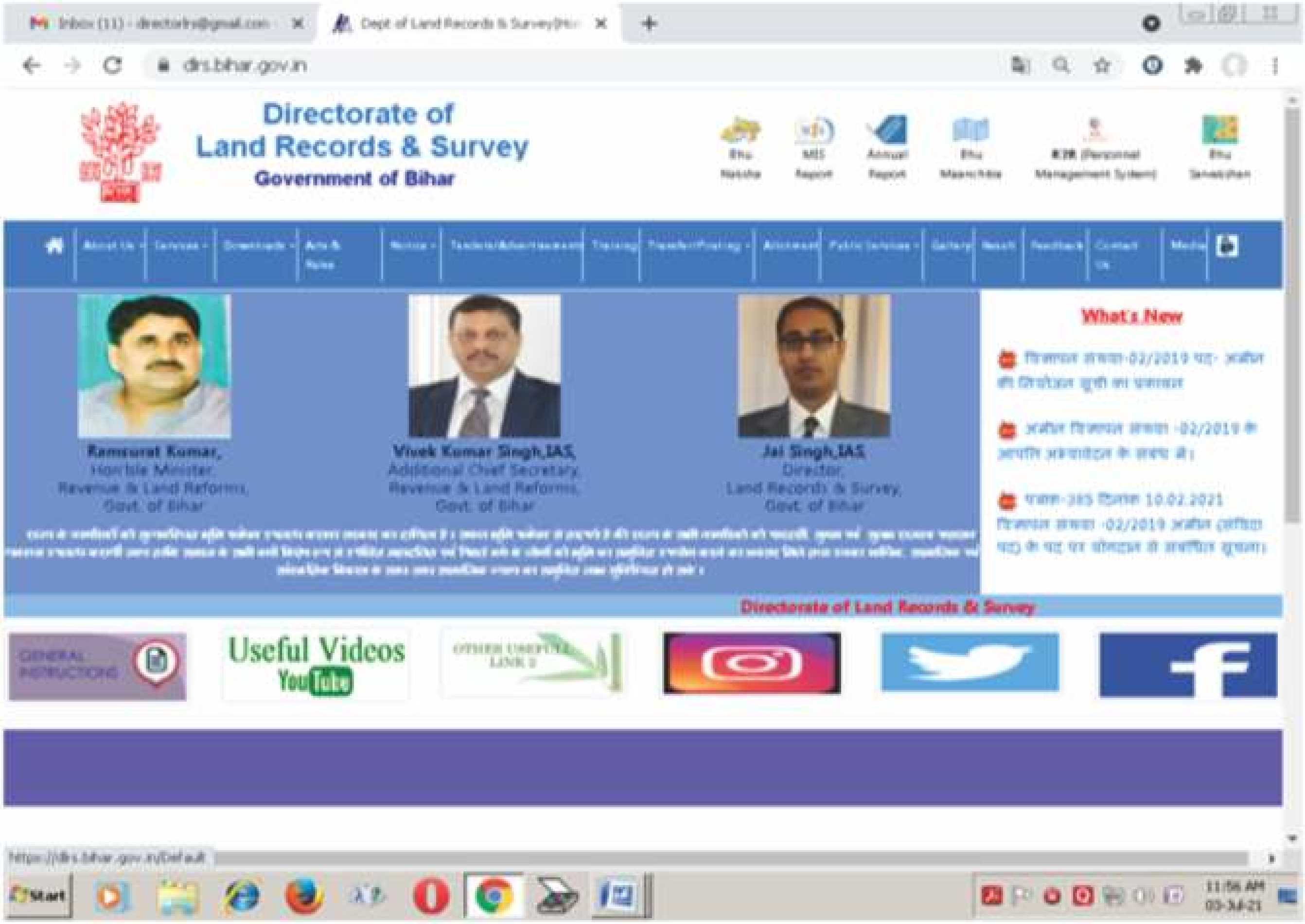

वर्ष 2019–20 में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सम्पूर्ण आन्तरिक कार्य संचालन और क्षेत्रीय गतिविधियों के आटोमेशन की वृहत योजना तैयार की गई एवं निदेशालय की प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का डिजिटल रूपान्तरण किया गया।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 14 में निहित प्रावधान ''डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण'' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 की समाप्ति तक निदेशालय द्वारा पृथक आई.टी. सेल, निदेशालय की स्वतंत्र वेबसाइट, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर यथा भू–सर्वेक्षण, भू–नक्शा, G.C.N, R2R, एवं MIS जैसे सॉफ्टवेयर विकसित किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त भू–मानचित्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से नागरिकों को ग्राम एवं खेसरा का नक्शा देखने एवं गैर विधिक उद्देश्य के लिए A4 साइज में उसकी प्रति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई।

वर्ष 2020–21 में पूर्व से विकसित इन सॉफ्टवेयरों में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के नए फीचर जोड़ते हुए सभी सॉफ्टवेयरों के माध्यम से डाटा को संग्रहित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो निम्न प्रकार है :–

(I) निदेशालय अंतर्गत आईटी. सेल :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में आधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न कार्यो को करने एवं आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्थापित किए गए आई0टी0 सेल की सहायता से वर्ष 2020–21 में 6332 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। जिलों में प्रारंभ किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यो के ऑनलाइन अनुश्रवण में इस सेल की विशेष भूमिका रही। अनुश्रवण के लिए इस सेल द्वारा MIS के तहत अलग–अलग जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के लिए MIS बनाए गए एवं बंदोबस्त पदाधिकारी एवं सहायक

बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) के मूल्यांकन के लिए POP (Performance based on objective Parameters) भी तैयार किया गया है। आई.टी. सेल द्वारा पूर्व से तैयार किए गए सॉफ्टवेयरों को अद्यतन करने एवं उनके क्रियान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का समाधान करने एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग यूजर मैनुअल तैयार करने का भी कार्य किया गया।

आई.टी. सेल के अंतर्गत एक कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई। यह कॉल सेंटर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित प्राप्त होने वाली समस्याओं को दूर करने का कार्य करता है। कॉल सेंटर का नम्बर 18003456215 है।

(ii) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना की वेबसाइट :– वर्ष 2019–20 में निदेशालय वेबसाइट की स्थापना के पश्चात् वर्ष 2020–21 में निदेशालय एवं भू–सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारियाँ, सूचनाएँ, पत्र, विडियों इत्यादि को इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में इस वेबसाइट पर निदेशालय से निर्गत सभी महत्वपूर्ण पत्र, आदेश, अधिसूचना, प्रशिक्षण विडियो इत्यादि उपलब्ध हैं।

(iii) विभिन्न सॉफ्टवेयरों की प्रगति :–

(A)भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर:–

वर्ष 2019–20 में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यों के प्रक्रमवार संधारण के लिए प्रावधानित किए गए प्रपत्र–1 से 22 के डिजिटल रूपान्तरण के उद्देश्य से बनाए गए भू–सर्वेक्षण सॉफ्वेयर में वर्ष 2020–21 में प्रविष्टियों के संधारण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया।

वर्ष 2020–21 के अंत तक भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों के संधारण की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0सं0	प्रपत्र संख्या	भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गई प्रविष्टियों की सं0
1.	1	5127
2.	2 एवं 3 (i)	4640334
3.	3	631
4.	3 (2)	63
5.	5	5989117
6.	6	32297

(B) भू–नक्शा सॉफ्टवेयर :–

वर्ष 2019–20 में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत मानचित्र को संशोधित करते हुए अद्यतन करने के लिए भू–नक्शा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। वर्ष 2020–21 में इस सॉफ्टवेयर में भूमि की विशिष्टताओं से संबंधित 168 लीजेंड को शामिल करते हुए नई खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) में की गई प्रविष्टियों के आधार पर प्रत्येक खेसरे की विशिष्टता को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में संधारित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। खेसरों से संबंधित विशिष्टताओं को GIS (Geographic Intermation System) के तहत सृजित करते हुए प्रपत्र–6 में संकलित प्रविष्टियों की शुद्धता की जॉच के लिए विभिन्न GIS सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2020–21 में शेखपुरा के घाटकुसुम्भा, बरबीघा आदि अंचलों के अंतर्गत किए गए कार्यों की जाँच GIS सॉफ्टवेयर द्वारा की गयी।

© G.C.N सॉफ्टवेयर :– आधुनिक प्रौद्योगिकी से मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया में शुद्धता संधारण में कंट्रोल प्वाइन्ट्स की संख्या का केन्द्रीय महत्त्व है। कंट्रोल प्वाइन्टस का एक अनुक्रम होता है, जो कालान्तर में मुस्तकिल का कार्य भी करते हैं। प्वाइन्टस जमीन की स्थानीय नापी में संदर्भ स्थायी बिन्दु का काम करते हैं। ऐसे सभी कन्ट्रोल प्वाइन्टस को इसी ग्रांउड कन्ट्रोल नेटवर्क (G.C.N) सॉफ्टवेयर की मदद से कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस में संधारित किया जाता है। इसमें निम्न कंट्रोल प्वाइन्टस को एक नियत स्केल पर

ऑर्थोफोटोग्राफ पर प्रक्षिप्त कर संधारित किया जा रहा है :–

P.C.P- Primary Control Points
S.C.P- Secondary Control Points
T.C.P- Tertiary Control Points
Tri-Junction- Touching Points of three boundaries of Revenue village
A.C.P- Auxillary Control Points

वर्ष–2020–21 में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति के क्रम में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में प्रदर्शित विभिन्न कन्ट्रोल प्वाइन्टस को G.C.N सॉफ्टवेयर में संधारित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(D) R2R (Recruitment to Retirement) कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर :–

वर्ष–2019–20 में निदेशालय द्वारा कर्मिक प्रबंधन के लिए Online Survey Personnel Management System नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

वर्ष–2020–21 में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी नवसृजित 6875 पदों के विरूद्ध सभी नवनियोजित कर्मियों के नियुक्ति पत्र का प्रेषण, योगदान, पदस्थापन, स्थानांतरण एवं सभी प्रकार के आदेशों के निर्गमन का कार्य किया गया। साथ ही स्थानान्तरण मॉडयूल में नए फीचर जोड़ते हुए, त्याग–पत्र देने वाले कर्मियों का डाटा संधारण, कार्मिक प्रबंधन से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण, क्षेत्रीय कर्मियों की उपस्थिति का संधारण एवं कार्मिक प्रबंधन से सम्बन्धित वास्तविक प्रतिवेदनों की प्राप्ति इत्यादि फीचर जोड़कर इनसे संबंधित कार्य इस सॉफ्टवेयर की सहायता से किए गए। आगामी वर्ष में इस सॉफ्टवेयर में सेवा इतिहास का संधारण तथा ई–छुट्टी जैसे नए फीचर जोड़े जाएंगे।

(E) MIS सॉफ्टवेयर :– वर्ष–2020–21 में विशेष सर्वेक्षण में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के ऑनलाईन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए MIC सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। यह सॉफ्टवेयर नवसृजित 6875 पदों के विरूद्ध नियोजित हुए संविदा कर्मियों के कार्यों के अनुश्रवण पर्यवेक्षण में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ।

वर्ष–2020–21 में MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने वाले अनुश्रवण को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से निम्नांकित MIS तैयार किए गए:–

1. Settlement Officer MIS
2. ASO HQ MIS
3. SS ASO MIS
4. SS ASO Kistwar Khanapuri MIS
5. SS ASO CIMS (Camp Inventory Management System)
6. SS ASO Public Awareness MIS
7. CAMP VISIT MONITORING (CVMS)
8. SS KANOONGO MIS
9. SS KANOONGO Kistwar Khanapuri MIS
10. SS AMIN MIS
11. Aerial Agency Establishment MIS
12. Aerial Agency Work Progress MIS
13. GIS Attribute (Form-6) Monitring
14. MAP Sell Monitring

जनवरी–2020 से Go-Live किए गए MIS सॉफ्टवेयर अन्तर्गत सभी MIS के माध्यम से निरन्तर प्रतिवेदन प्राप्त कर अनुश्रवण किया जा रहा है।

(F) नागरिकों के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म का संचालन :–

निदेशालय द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदेशालय में कॉल सेन्टर की स्थापना किए जाने के साथ–साथ नागरिकों के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध विभिन्न माध्यमों यथा Twitter, YouTube, Facebook, Instagram इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है।

इन सभी डिजीटल प्लेटफार्म के माध्यम से निदेशालय द्वारा अपनी अद्यतन गतिविधियों व महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी नागरिकों के साथ साझा की जाती है तथा उनके विचारों व प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाती हैं। सम्प्रति निदेशालय के यूट्यूब चैनल पर 9095 Subscriber, Twitter पर 3230 Follower, Facebook पर 5000 Follower तथा Instagram पर 684 Follower जुड़े है। YouTube चैनल पर उपलब्ध विडियोज को अब तक लगभग 3 लाख बार देखा जा चुका है।

(G) E-Office :–

राज्य सरकार के दिशा निर्देशो के अनुरूप IT विभाग के सहयोग से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय कार्यालय के पत्रों संचिकाओं इत्यादि के निष्पादन के लिए E-Office की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अंगीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में निदेशालय स्तर पर पूर्णरूपेण E-Office को लागू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(H) GIS LAB :–

विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी और विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा संग्रहित किए जाने वाले ऑकड़ों की जॉच के लिए निदेशालय में GIS सलाहकार के नेतृत्व में GIS LAB की स्थापना की गई है। इस LAB में विशेष सर्वेक्षण के तीन क्षेत्रीय कर्मियों को प्रशिक्षित कर प्रतिनियुक्त किया गया है। इन कर्मियों द्वारा GIS संबंधी सॉफ्टवेयर की सहायता से क्षेत्रीय आंकड़ों का सत्यापन कर क्षेत्रीय प्रगति का सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

सारण : 1775 में ही जहां हुआ था विद्रोह

छपरा के करिंगा में 18वीं शताब्दी में बना डच कब्रिस्तान

हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर

आज के सारण का इतिहास प्राचीन काल और विभिन्न कालखण्डों से गुजरा है। प्राचीन और मध्यकालीन खुदाई, मुद्रा–लेख एवं शिलालेखों के आधार पर सारण महा कोसल के उत्तर कोसल का भाग रहा है। पाली साहित्य के अनुसार सारण आर्यावर्त्त के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का नाम था।

इतिहास के विभिन्न कालखण्डों यथा–शिशुनाग, नन्द, मौर्य, शुंग और शुंग के बाद शक तथा कुशाण के कालखण्ड से भी यह क्षेत्र गुजरा है। सारण के छपरा से 11 किलोमीटर पर अवस्थित सबसे महत्त्वपूर्ण पुरातत्व स्थल की खुदाई से जो 2000 ईसा पूर्व की स्थिति को दर्शाता है से स्पष्ट है कि सारण का भू–भाग कोसल का अंग रहा है। कोसल की चौहद्दी जिसमें उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सर्पिका नदी, पूर्व में गंडक एवं पश्चिम में पांचाल प्रदेश शामिल है, से परिलक्षित होता है कि सारण कोसल का भाग था। आठवीं शदी में सारण पालवंश के शासकों के अधीन था जिसका प्रमाण दिघवारा के निकट दुबौली से प्राप्त 898 ईस्वी में तब के शासक महेन्द्र पाल के समय का ताम्रफलक का प्राप्त होना है। आइना–ए–अकबरी के अनुसार 1574 में अकबर ने दाउद खान को हराकर बिहार के भू–भाग पर कब्जा किया था। उस समय राजस्व संग्रह के लिए बनाये गये छः राज्यों में से एक राज्य सारण भी था जिसे सारण सरकार के नाम से भी जाना जाता है।

1666 ईस्वी से सारण में यूरोपियनों का प्रभाव शुरू हुआ। जब डच लोगों ने छपरा में सोरा के व्यापार के लिए गोदाम और कारखाने लगाये। 1757 में अंग्रेजों की सेना का आगमन बिहार में हुआ जब उसी साल 4 अगस्त को आईरे कुट (Eyre Coote) के नेतृत्व में सेना की एक छोटी टुकड़ी छपरा पहुँची थी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल एवं अवध के नबाब तथा मुगल बादशाह के संयुक्त सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजों ने दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब, सारण बंगाल का हिस्सा था। दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद 1829 में राजस्व प्रशासन की दृष्टि से पटना को प्रमंडल बनाया गया। जिसके अर्न्गत सारण और चम्पारण मिलकर एक ही जिला हुआ करते थे परन्तु, 1866 में चम्पारण को सारण से अलग कर नया जिला बना दिया गया। सारण जिला में तीन अनुमंडल रह गए–सिवान, गोपालगंज और सदर, सन् 1848 में सीवान अनुमंडल, 1869 में गोपालगंज अनुमंडल बना। फिर आजादी के बाद श्री केदार पाण्डेय की सरकार ने इन दोनों अनुमंडलों को जिला घोषित कर दिया। सारण प्रमंडल में रेल सेवा सन् 1884 से शुरू हो गयी। सन् 1886 में यहाँ जिला बोर्ड की स्थापना की गयी। उस समय से लेकर सन् 1924 तक इसका शासन और संचालन जिलाधिकारी करते थे। पहली बार सन् 1924 में पहले गैर सरकारी अध्यक्ष सारण प्रमंडल की महान विभूति मौलाना मजहरूल हक निर्वाचित हुए।

स्वतंत्रता आन्दोलन की पहली लड़ाई सन् 1857 में हुई थी किन्तु देखा जाय तो सारण प्रमंडल में स्वतंत्रता संग्राम का विगुल सन् 1775 में हुस्सेपुर के युवराज फत्तेशाही ने फूंकी थी। इतिहास गवाह है कि फत्तेशाही ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन पर्यन्त ब्रिटिश हुकूमत से गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। यह क्षेत्र सन् 1781 में अंग्रेजों ने उनके भाई के वंशजों को दे दिया जिन्होंने हथुआ को अपनी राजधानी बनाया।

सारण अनेक श्रेष्ठ संत–महात्माओं की जन्मभूमि और साधनास्थली रही है। प्राचीन काल में न्यायशास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम और अपनी हड्डियों तक दान करने वाले महर्षि दधीचि का आश्रम क्रमशः गोदना और दहियांवा छपरा में था। भगवान श्री परमहंस रामकृष्ण देव के 16वें लीला पार्षद श्रीमत् स्वामी अद्‌भुतानन्दजी महाराज (श्री लाटू महाराज) की जन्मभूमि सारण ही है। सखी संप्रदाय के महान भक्त श्री कामता सखी का जन्म–स्थल और साधनास्थल छपरा ही है। योग एवं भक्ति की समन्वित साधिकाओं में माँ योगशाक्ति (पूर्वनाम श्रीमती लीला श्रीवास्तव) एवं मानव सेवा संघ वृन्दावन की प्रधान संचालिका परम भक्तिमयी देवकी माता की जन्मस्थली सारण है।

नाम की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न परिकल्पना को आगे रखा गया है। जनरल कनिंघम ने सुझाव दिया कि सारण को पहले सारण या शरण के नाम से जाना जाता था जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप को दिया गया नाम था। दूसरी परिकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि सारण नाम सरंगा–अरण्य या हिरण के जंगल से लिया गया है, जो प्रागैतिहासिक काल में जंगल और हिरण के विस्तृत विस्तार के लिए प्रसिद्ध है।

कैमरे की नजर में

नालंदा के सिलाव शिविर में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के साथ अपर मुख्य सचिव श्री विवेक कुमार सिंह

मुंगेर में आयोजित प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला में भाग लेते विशेष सर्वेक्षण कर्मी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्व ग्राम कठौर में ग्राम सभा को संबोधित करती सीतामढ़ी जिले के परसौनी अंचल की शिविर–1 प्रभारी श्रीमती ऋतु शुक्ला

शास्त्रीनगर स्थित सर्वे भवन में Textual & Spatial Data Integration विषय पर आयोजित कार्यशाला में माननीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं निदेशक भू–अभिलेख

शिवहर जिले के पुरनहिया अंचल में तीन मौजों–चंडीहा, सोनौल सुल्तान एवं हथसार का त्रिसीमाना तय करते शिविर प्रभारी राहुल पाण्डे

वैशाली जिले के बाढ़ प्रभावित बहलोलपुर में राहत व बचाव टीम के साथ महनार अंचल अधिकारी

सारण में मशरख थानाअध्यक्ष के साथ को साप्ताहिक बैठक करते अंचल अधिकारी श्री ललित कुमार सिंह

एक कदम आगे

विनय कुमार राय, (37 बैच, BAS), **अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर।**

बिहार प्रशासनिक सेवा में 29 वर्षो की सेवा के दौरान करीब 18 वर्षो तक राजस्व संबंधित कार्यो के निश्पादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजस्व प्रशासन कदाचित् आम आदमी के जीवन के सबसे नजदीक से जुड़ा हुआ पहलू है। भू–हदबंदी संबंधित व्यवस्थायें, गरीबों के लिए गृहस्थल योजना, वासगीत पर्चा, कृषि संबंधित भूमि की बंदोबस्ती ऐसी कई विधायें हैं जिससे न्याय परक सामाजिक क्रांति लाई जा सकती है और विभाग ने इस दिशा में कई अहम उपलब्धियाँ प्राप्त की है।

शिव रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी

बिहार प्रशासनिक सेवा का 44 वी बैच के अधिकारी। ये वर्ष 2015 से 2018 तक भूमि सुधार उप समाहर्ता मसौढ़ी एवं 2018 से 2021 तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सोनपुर के रूप में पदस्थापित थे। सम्प्रति ये भूमि सुधार उप समाहर्त्ता पटना सिटी के रूप में पदस्थापित हैं।

सोनपुर पदस्थापन के दौरान विभाग के द्वारा विभागीय कार्यों के आधार पर POP Ranking की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2020–21 में POP Ranking में सोनपुर अनुमंडल प्रथम स्थान पर रहा। इस वित्तीय वर्ष में कुल 61 दाखिल ख़ारिज अपील वादों के विरुद्ध इनके द्वारा 52 वादों का निष्पादन किया गया। साथ ही लम्बित 63 अतिक्रमण वादों का भी शत–प्रतिशत निष्पादन किया गया। इस वर्ष कुल 6 बार अंचल निरीक्षण एवं 20 हल्का निरीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 5 माह सोनपुर अनुमंडल प्रथम स्थान पर रहा।

पंकज कुमार, बि0रा0से0, अंचल अधिकारी, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर

अंचल निरीक्षक के रूप में समस्तीपुर जिला के सरायरंजन अंचल में योगदान दिया। इसके बाद इनका प्रशिक्षण बिपार्ड में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान ही इनका पदस्थापन प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में शेखपुरा सदर में हुआ। इसके बाद इनका प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में पदस्थापन मधुबनी जिला के पण्डौल अंचल में हुआ। 18.07.2018 प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में योगदान के समय ही ऑनलाईन दाखिल–खारिज करने के लिए इनहोंने स्वयं ऑपरेटर के साथ बैठकर दाखिल–खारिज की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुए दाखिल–खारिज में 99 से 100 प्रतिशत तक वादों का निष्पादन किया। पण्डौल अंचल में इनहोंने करीब 400–500 वासविहिन परिवारों को बासगीत पर्चा/बन्दोस्ती पर्चा बाटा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलो द्वारा भी लोगों को पर्चा बटवाया गया। इसके बाद इनका पदस्थापन प्रभारी अंचल अधिकारी के रूप में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी अंचल में हुआ। यहा भी इनका यही प्रयास है कि ऑनलाईन दाखिल–खारिज, ऑनलाईन एल.पी.सी., परिमार्जन का शतप्रतिशत करने का लक्ष्य पूरा हो।

दिलीप कुमार साह, राजस्व कर्मचारी, पानापुर अंचल से गरखा अंचल(छपरा)

समय पर अपने कार्य का निष्पादन इनकी बडी विशेषता है। अंचल कार्यालय से प्राप्त जाति, आय, आवासीय, दाखिल खारिज जैसे आवेदनों में से जिनकी तिथि निर्धारित है एवं जो ज्यादा जरुरी है, वैसे आवेदनों का जांच प्रतिवेदन स्थानीय एवं राजस्व अभिलेखों तथा ग्रामीणों से पूछताछ कर इनके द्वारा प्राथमिकता से निष्पादित किया जाता रहा है। कम्प्यूटर आपरेटर से अपने आवंटित हल्का का ऑनलाइन म्यूटेशन एवं ऑनलाइन परिमार्जन का लंबित केस प्रत्येक सप्ताह में प्राप्त कर उस कार्य को निष्पादित किया जाता है। ससमय काम करने की प्रवृत्ति के कारण फेरुसा के साथ महमदा, कोठिया, मौजमपुर, मोतीराजपुर, पिरौना, हसनपुरा, मीरपुर जुआरा तथा साधपुर हलका से संबंधित कार्य भी इनके द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

एक कदम आगे

सतीश कुमार शर्मा, बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा

2008 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है। पूर्व में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के रूप में श्री शर्मा द्वारा राजस्व एवं विकास में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। श्री शर्मा को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्य काल में पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु एक्सेलेंश एवार्ड दिया गया था। निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांका में पदस्थापन अवधि में इनके उत्कृष्ट कार्य के कारण जिला परिषद, बांका को सर्वोकृष्ट जिला परिषद का एवार्ड मिला। जमुई जिला में उप विकास आयुक्त के रूप में पदस्थापन के समय जमुई जिला 7 निश्चय योजना एवं ODF के लिए बिहार के शीर्ष तीन जिले में शामिल था। वर्तमान में बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के पदस्थापन काल में विशेष भू–सर्वेक्षण कार्य में नालन्दा जिला बिहार के शीर्ष तीन जिलों में शामिल है।

प्रियबन्धु विवेकानन्द शिविर प्रभारी –सह– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिविर– पिपरा 01, सुपौल

इन्होंने Dr Ms.G.R. University से B.Tech. (Civil Engineering) की पढ़ाई की। पुनः Master Degree के लिए 2009 ई. में London चले गये और London South Bank University से 2011 ई. में M.Sc. (Structural Engineering) किया। साथ ही साथ London अंतर्गत Tesco Plc. में प्रबंधक पद पर चार साल कार्य करने के उपरांत Heriot Watt University से MBA की पढ़ाई 2016 ई. में पूर्ण किया। विदेश से शिक्षा एवं कार्य अनुभव प्राप्त कर वापस अपने देशहित में कार्य करने के लिए आ गये वर्तमान में बिहार सरकार अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 2020 ई. में योगदान कर विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

चन्दन कुमार विशेष सर्वेक्षण कानूनगो घाटकुसुम्भा शिविर–01,शेखपुरा

राजस्व ग्राम–गुडेरा(थाना नंबर–91) का भूमि सर्वेक्षण एवं कागजी प्रमाण जांचोप्रान्त प्रत्येक रैयत के भूमि एवं अधीकार अभिलेख का खानापूरी पर्चा एवं LPM वितरण किया गया हैं, नए अभिलेख में त्रुटी दावा का आपेक्ष प्राप्त होने के बाद रैयतो की आपात्ति निराकरण के बाद भू–नक्शा एवं अधीकार अभिलेख का प्रकाशन किया जायेगा इसके अलावा राजस्व ग्राम–जगदीशपुर (थाना नंबर–310) का भी जल्द LPM वितरण होगा। विशेष सर्वेक्षण शिविर (विशेष सर्वेक्षण कानूनगो ब्रिजेश) के अंतर्गत डुमरी (207) का LPM वितरण किया गया है। साथ ही इनके राजस्व ग्राम– बेलौनी (208), फरीदपुर (205), औरेया (206), माफो(204) एवं कोरमा (311) में खानापूरी कार्य प्रारंभ हैं।

अविनाश साव (SSA] W-CHAMPARAN)

ये सिवान के हैं। शुरुआती पढाई 10TH और 12TH तक केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुर CTPS से हुई। इनकी रूचि सिविल इंजीनियरिंग तथा जमीन से सम्बंधित रहने के कारणवश DIPLOMA IN CIVIL ENGG-] 2013 में किया। उसके पश्चात इनका चयन LRCDEPT- में विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर हुआ। इनका पद्स्थापन पश्चिम चंपारण शिविर चनपटिया 01 में हुआ। इनको दो मौजा मधिया खर्गोलिया और जैतिया आवंटित किया गया। इन्होंने जैतिया मौजा का त्रि–सिमाना, तेरिज लेखन,P5एंट्री और ग्राम सीमा सत्यापन संपन्न किया तथा' मौजा मधिया खर्गोलिया त्रि–सिमाना, तेरिज लेखन,P5एंट्री, वंशावली तथा ग्राम सीमा सत्यापन कर किश्तवार कार्य संपन्न किया।

राजकाज
बिहार में 35 फीसदी सीओ और बीडीओ महिलाएं होंगी
हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नज़रिया
60 लखपति बन चुके हैं 650 + और अवसर हैं
जमीन विवाद से जुड़े हर केस का अपना यूनिक कोड होगा
डीएम हर शुक्रवार सुनेंगे भूमि विवाद के केस
2134
1178
http://biharbhumi.bihar.gov.in
व्यवस्था . सॉफ्टवेयर को किया गया अपडेट
म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदन को सीओ नहीं कर पायेंगे रिजेक्ट
थोड़ी- सी कमी पर आवेदक को बिना कोई मौका दिए दाखिल-खारिज के आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाते थे
रैयतों को काफी राहत मिलेगी
विवेक कुमार सिंह
Sat, 20 March 2021
प्लॉट के नक्शे के साथ म्यूटेशन पर काम शुरू
भूमि सर्वेक्षण प्राथमिकता में : विवेक
जमीन संबंधी हर तरह की जानकारी 'बिहारभूमि' पर
नुमालीगढ़ गैस पाइपलाइन पर सहमति
करार
जमाबंदी पंजी के संरक्षक बनाये गये अंचलाधिकारी
दाखिल खारिज जन जागरूकता श्रृंखला 1
पटना
दाखिल-खारिज की सुनवाई को टालना महंगा पड़ेगा
कृषि निवेश
पहल. भू अभिलेख व परिमाप निदेशालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जारी
खतियान निकलने के बाद भी रैयत छह महीने में करा सकेंगे जमीन का सेटलमेंट
जगजीवन राम
प्रभात
घर बैठे जान पायेंगे नये सर्वे में जमीन रिकॉर्ड की स्थिति